

227 क लेख ग्लोबलाइजेशन इक्यान्वे से ग्यारह तक

227 ख लेख क्या हम्माम में सब नंगे हैं?

227 ग लेख युवा संवाद जुलाई ग्यारह का सम्पादकीय

227 घ प्रश्न— आचार्य पंकज, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच, रिषिकेश हरिद्वार

227 च प्रश्न— श्री सत्यमेव गुप्त रुदौली बाराबंकी उत्तरप्रदेश

227 छ प्रश्न— श्री ओमपाल जी मेरठ उत्तर प्रदेश

227 ज प्रश्न— आचार्य पंकज रिषिकेश उत्तराखण्ड

### ग्लोबलाइजेशन इक्यान्वे से ग्यारह तक

ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है उदारीकरण। भारत ने उदारीकरण की सन इक्यान्वे से राह पकड़ी जो आज तक धीरे धीरे सरकर रही है। उदारीकरण की शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने की थी जो उस समय नरसिंह राव सरकार में वित्तमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री हैं। उदारीकरण का सीधा सा आशय होता है विकेन्द्रीकरण। यह केन्द्रीयकरण तथा अकेन्द्रीयकरण के बीच की स्थिति होती है। केन्द्रीयकरण का परिणाम होता है सुव्यवस्था और गुलामी। विकेन्द्रीयकरण का परिणाम होता है अव्यवस्था और लोकतंत्र। अब यह समाज पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है।

उदारीकरण दो प्रकार का होता है (1) राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण (2) आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण। इक्यान्वे के पूर्व भारत में समाजवाद के नाम पर केन्द्रीयकरण था जिसमें राजनैतिक शक्ति भी तंत्र के पास ही इकट्ठी थी और आर्थिक शक्ति भी। पूँजीपति भी राजनैतिक शक्ति की दया के पात्र थे। तंत्र और लोक के बीच मालिक और गुलाम का रिश्ता था। दोनों के बीच राजनैतिक शक्ति की असमानता भी असीम थी और आर्थिक शक्ति की भी। किन्तु समाज के अंदर असमानता कम थी। श्रम और बुद्धि के बीच भी इतना फर्क नहीं था और श्रम बुद्धि और धन के बीच भी फर्क कम था। आम नागरिक संतुष्ट थे क्योंकि ऐसी समाजवादी गुलामी को उन्होंने अपनों नियति मान लिया था। ज्यादा पंख फड़फड़ाने से पंख कटना निश्चित दिखता था क्योंकि आसमान में उड़ने की एक निश्चित सीमा निर्धारित थी। सन इक्यान्वे में जब ऐसी समाजवादी सुव्यवस्था पर से नेहरू परिवार का पंजा कमजोर हुआ तब नरसिंह राव प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह वित मंत्री बने। मनमोहन सिंह उस समय वित मंत्री मात्र थे। उनकी आर्थिक उदारवाद तक ही सीमाएँ थीं। उन्होंने राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण को तो नहीं छुआ किन्तु आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का मार्ग खोल दिया। मैं नहीं कह सकता कि उक्त उदारीकरण पर विश्व साम्यवाद की असफलता की घोषणा का कोई प्रभाव था या नहीं किन्तु दोने घटनाएँ एक ही कालखण्ड की हैं जिसमें गोवांचोव ने राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया और भारत आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण तक सीमित रहा।

भारतीय राजनीति का यह इतिहास रहा है कि भारत में एक चौकड़ी हमेशा बनी रहती है जो नेहरू परिवार के चारों ओर सक्रिय रहती है। जब भी कोई नेहरू परिवार से हटकर राजनीति में सक्रिय होता है तब यह चौकड़ी तरह तरह के जाल बुनना शुरू कर देती है। स्वाभाविक है कि नरसिंह राव को भी इसी योजना के अंतर्गत बदनाम किया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई और गठबंधन सरकारों की मजबूरी आई। विषय की सरकारों को भी आर्थिक उदारीकरण की गति कम करनी पड़ी। हालत तो यहाँ तक आई कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री होते हुए भी उदारीकरण के शत्रु साम्यवादियों के साथ समझौते करने पड़े। राजनैतिक सत्ता के उदारीकरण की तो शुरुआत ही नहीं हो सकी किन्तु आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण में भी बाधाएँ पैदा करके उसकी गति को रोका गया। अब साम्यवादियों का पंजा हटा और मनमोहन सरकार उदारीकरण की दिशा में बढ़ने लगी। मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के साथ साथ राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की दिशा में भी बढ़ना शुरू किया। ग्राम समाजों को सशक्ति किया जाने लगा। उन्हे राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार भी तेजी से देने शुरू हुए। मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। कांग्रेस की चौकड़ी को चिन्ता हुई। वह तो राहुल गांधी के तैयार होते तक के लिये मनमोहन सिंह को खड़ाउ से आगे नहीं देखना चाहती थी किन्तु जब पानी सर से उपर जाता दिखा तो चौकड़ी ने मनमोहन सिंह के विरुद्ध वातावरण बनाना शुरू किया। इस वातावरण निर्माण में सोनिया किंतु शामिल है यह पता नहीं। राहुल गांधी भी बहकावे में चौकड़ी के साथ है या साच समझकर यह भी निश्चित नहीं किन्तु चौकड़ी पूरी तरह सक्रिय है यह निश्चित है। विषय में कोई ऐसा था नहीं जो इतना समझ पाता। जो साम्यवादी समझने की क्षमता रखते थे वे इस योजना के साथ हो गये। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि अब मनमोहन सिंह दो चार दिन के ही मेहमान हैं किन्तु एकाएक कुछ करिश्मा हुआ और वे बच गये।

जब आर्थिक सत्ता विकेन्द्रित होती है किन्तु तंत्र की सत्ता विकेन्द्रित नहीं होती तब उसके कुछ स्वाभाविक दृष्टिरिणाम भी होते हैं। उदारीकरण के पूर्व तो सिर्फ राज्य ही धन संग्रह कर सकता था किन्तु जब समाज को आर्थिक आजादी मिली और राजनैतिक गुलामी बनी रही तब पूँजीपतियों ने राज्य शक्ति के साथ भ्रष्ट समझौते करके अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। बुद्धि और धन को खुला आसमान मिला और खुले आसमान में उड़ने की छूट भी मिली। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी तो बेचारा इस आसमान में उड़ने की छूट के बाद भी कुछ ही दूर तक जा पाया किन्तु बुद्धिजीवी तो टेक्नोलॉजी और राज्य शक्ति का सहारा पाकर तेज गति से बढ़ने लगा और यदि बुद्धि के साथ धन भी जुड़ जावे तो फिर ता उसकी शक्ति असीम हो जाती है। परिणाम हुआ कि आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ी। बहुत थोड़े ही समय में साइकिल मोटरसाईकिल में और मोटर साइकिल कार में बदल गई। बुद्धिजीवी पूँजीपति वर्ग यहीं तक सीमित न रहकर उसने राजनेताओं के साथ बंधन बढ़ावा करके ऐसी नीति बनाई कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। किसान आत्महत्या करने लगे। श्रम बुद्धिजीवियों पूँजीपतियों की मनमानी शर्तों पर श्रम कार्य करने के लिये मजबूर हो गया। ग्रामीण श्रमजीवियों के एक अंश ने तो शहरों में रोजगार खोजकर किसी तरह जान बचाई किन्तु किसान बेचारा कहों जाय। या तो वह श्रमिक बन जाय अथवा घुटघुट कर मर जाय। तंत्र ने तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सीमा तक उड़ने की स्वतंत्रता दे दी। किन्तु उसी तंत्र ने बुद्धिजीवी पूँजीपति को सस्ती कृत्रिम उर्जा का सहारा दे दिया और कृषि उत्पादन वन उत्पादन जैसी वस्तुओं पर भारी करों का पत्थर बांध दिया। बेचारा गरीब ग्रामीण श्रमजीवी पहले से ही बुद्धिजीवी और पूँजीपति से प्रतिस्पर्धा में बहुत कमजोर था तो उपर से करों के बोझ ने उसकी गति बहुत कम कर दी।

भ्रष्टाचार आर्थिक उदारीकरण का स्वाभाविक परिणाम होता है। राजनैतिक शक्ति यदि केन्द्रित होगी और आर्थिक शक्ति विकेन्द्रित होगी तो इसके अतिरिक्त किसी अन्य परिणाम की आशा करना ही व्यर्थ है। जब आवागमन सस्ता और सुलभ होगा तो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था कमजोर तथा शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी ही। आप इसे रोक नहीं सकते। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी

किसान के भविष्य की रूपरेखा भी तो शहरी बुद्धिजीवी पूँजीपति राजनेता ही बैठकर बनाता है। वही हुआ भी । शिक्षा तेजी ते बढ़ी और ज्ञान तेजी से घटा । अच्छे अच्छे घरों के बच्चे ज्ञान और शिक्षा का अंतर नहीं बता पाते क्योंकि ज्ञान का विस्तार तो उसके पारिवारिक सामाजिक जीवन तक ही सीमित है किन्तु शिक्षा का विस्तार उसकी आर्थिक प्रगति मे काम आयगा। हर परिवार सोचता है कि यदि उसके पास पैसा रहा तो वह श्रम तो खरीद कर काम चला ही लेगा। आर्थिक उदारीकरण ने भारत को दो भारतों मे बदल कर रख दिया । एक वह जो उच्च तकनीक सस्ती कृत्रिम उर्जा सस्ता आवागमन अनियंत्रित धन सम्पदा पर सवार होकर हवाई जहाज की रफतार से आगे बढ़ रहा है तो दूसरा विभिन्न टैक्सो का बोझ लादे धीरे धीरे घिसट रहा है।

दुख की बात है कि आर्थिक उदारीकरण से पूर्व के समाजवादी इस असहाय भारत को राजनैतिक गुलामी से मुक्ति की ओर प्रेरित न करके आर्थिक उदारीकरण के विरुद्ध भड़काने मे संलग्न है। वैसे तो अकेन्द्रीयकरण ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है किन्तु यदि वह वर्तमान मे संभव न हो तो संपूर्ण उदारीकरण तो होना ही चाहिये जिसमे राज्य शक्ति और अर्थशक्ति का अधिकतम विकेन्द्रीयकरण होना है। सिफ अर्थ शक्ति का विकेन्द्रीयकरण पर्याप्त नहीं। उदारीकरण तो आवश्यक है ही। अब भारत इक्यान्वे के पूर्व की आर्थिक गुलामी की ओर नहीं लौट सकता। किन्तु यह भी आवश्यक है कि भारत अब राजनैतिक उदारीकरण की दिशा मे भी तेजी से बढ़े। जब तक लोक और तंत्र के बीच की बढ़ती दूरी कम नहीं होती तब तक समस्याए सुलझ ही नहीं सकती और लोक एं तंत्र के बीच की दूरी ये लोग कम नहीं होने देना चाहते। इसके विपरीत ये लोग तो इक्यान्वे के बाद शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण को भी समाप्त करने के पक्षधर है। इसका अर्थ होगा कि वर्तमान समय मे जो दो भारत सम्पन्न और विपन्न के रूप मे दिख रहे हैं वे बदलकर सर्वशक्तिमान तंत्र और गुलाम लोक के रूप मे दिखने लगेगे क्योंकि वर्तमान मे राज्य मुक्त अर्थ व्यवस्था पर भी बदलकर राज्य का ही एकाधिकार हो जायगा।

मैने आज ही युवा भारत मासिक पत्रिका मे एक समाचार पढ़ा कि उन्नीस मई को हैदराबाद मे सम्मेलन करके एक सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई जो आचार्य नरेन्द्र देव , लोहिया जयप्रकाश के मार्ग पर चलकर एक नया विकल्प खड़ा करेगी। चूंकि मै प्रारंभ से ही समाजवादी विचारो का रहा इसलिये मै नहीं समझ सका कि यह पार्टी आचार्य नरेन्द्र देव के समाजवाद पर चलेगी या लोहिया और जयप्रकाश के । गांधी जी संपूर्ण लोक स्वराज्य के पक्षधर थे जिसमे राजनैतिक तथा आर्थिक स्वायतत्त्व गांवों को देने की बात थी। जयप्रकाश जी भी करीब बरीब इसी लाइन को समाजवाद कहते थे। लोहिया जी लोकस्वराज्य की जगह चौखम्भा राज्य तथा सप्त क्रान्ति के समन्वय को समाजवाद कहते थे। आचार्य नरेन्द्र देव सत्ता और अर्थ के सरकार के पास केन्द्रित होने को समाजवाद कहते रहे। हमारे भारत मे एक बड़ी बुराई घर कर गई है कि किसी महापुरुष के मरते ही उसके नाम पर उसकी सोच के ठीक विपरीत एक दुकान खोल दी जाती है जो महापुरुष के नाम और चित्र तक ही सीमित रहती है। गांधी के साथ सर्वोदय ने वही किया जिसने अकेन्द्रीयकरण को पूरी तरह त्याग कर सत्ता और अर्थ के केन्द्रीयकरण की माला जपने लगे। लोहिया जी के साथ भी वही हुआ कि चौखम्भा राज्य को लात मारकर आर्थिक उदारीकरण के विरोध तक सीमित हो गये, बेचारे हेडगेवार के साथ भी वही हुआ। हेडगेवार जीवन भर समाज सशक्तिकरण के पक्ष और राजनीति से दूरी बनाने की बात करते रहे किन्तु उनके बाद के संघ ने एक जनसंघ रूपी पुत्र पैदा कर लिया और अब दिन रात भाजपा मोह मे सारा समाज सशक्तिकरण छोड़ बैठी है। आवश्यकता है कि इन महापुरुषो के नाम पर चल रही दुकानों से सतर्क रहा जाय। हमे यह तय करना होगा कि चाहे किसी महापुरुष ने कुछ कहा हो किन्तु आज की आवश्यकता है संपूर्ण उदारीकरण जिसका अर्थ है राज्य सत्ता आर अर्थ सत्ता का पूरी तरह स्थानीयकरण। हमे बुद्धिजीवी पूँजीपति शहरी गठजोड़ से मुक्ति तो चाहिये किन्तु वैसी राजनैतिक गुलामी की कीमत पर नहीं जैसी इक्यान्वे के पूर्व थी। जो लोग वैसा सपना देख रहे हैं वे भ्रम मे हैं, गलत है। मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ पिछले एक वर्ष से राजनैतिक उदारीकरण की दिशा पकड़ी है। अन्ना हजारे जी ने भी एक बहुत अच्छी पहल की है। वौकड़ी को इस बात से मतलब नहीं कि उदारीकरण होगा अथवा केन्द्रीयकरण। उसे इस बात से भी मतलब नहीं कि अन्ना सफल होते हैं या असफल। उसका तो सिफ एक ही उद्देश्य है कि मनमोहन सिंह किसी भी तरह कमजोर हो जिससे नेहरू परिवार के नाम पर राहुल गांधी को बिठा दिया जावे। हमारा कर्तव्य है कि हम चौकड़ी के इस नापाक इरादे को सफल न होने दे। हम अन्ना जी के आंदोलन को पूरी तरह समर्थन और सहयोग करते रहें। साथ ही हम निरंतर प्रयत्नशील रहें कि हमारी सरकार गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान के प्रति इतनी संवेदनशील हो कि कोई भी इन्हे बहका फुसलाकर इक्यान्वे के पूर्व की भयावह स्थिति के पक्ष मे न कर सके। हम उदारीकरण के नाम पर बढ़ती आर्थिक असमानता का भरपूर विरोध भी करेंगे और नया मार्ग भी तलाशेंगे किन्तु हम यह सारा कार्य पूरी सतर्कता से करेंगे कि कोई अन्य हमारी इस कमजोरी का लाभ न उठा सके।

## क्या हम्माम में सब नंगे हैं?

भारत में एक धारणा तेजी से विकसित की जा रही है कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया दाष रहित है और उसकी समीक्षा न्यायपालिका के अतिरिक्त संभव नहीं हैं। स्वतंत्रता के बाद विधायिका ने भी समाज के समक्ष यही अवधारणा प्रस्तुत की कि समाज न्यायपालिका की समीक्षा न्यायिक सीमाओं से बाहर जाकर नहीं कर सकता। यदि न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा करनी भी होगी तो वह विधायिका ही कर सकती है और वह भी संविधान संशोधन द्वारा ही। इस तरह विधायिका ने स्वयं को तो न्यायपालिका से उपर मान लिया किन्तु समाज को ऐसी समीक्षा से बाहर कर दिया। विधायिका ने यह स्टैन्ड कर लिया कि वह जन प्रतिनिधि है और उसे संविधान संशोधन तक के असीम अधिकार प्राप्त हैं। न्यायपालिका की सीमाएँ हैं, किन्तु विधायिका की कोई सीमा नहीं। इस तरह विधायिका ने यह धारण फैलाई कि समाज को सिफ वोट देने का अधिकार है। उसके बाद उसके सारे अधिकार विधायिका के पास नये चुनाव तक के लिये स्थानान्तरित हो जाते हैं। तथा विधायिका ही संसदीय लोकतंत्र मे सर्वोच्च है और वही एक प्रकार से समाज है क्योंकि समाज ही उसे चुनकर वहाँ बिठाता है। यदि दूसरी भाषा मे कहें तो संसदीय लोकतंत्र एक सामाजिक तिजोरी है जिसके उपयोग के असीमित अधिकार संसद के पास होते हैं। समाज तो पांच वर्ष मे उसकी चाभी का मालिक बदल सकता है। बीच मे समाज कुछ नहीं कर सकता चाहे संसद उस तिजोरी को पूरी तरह खाली ही क्यों न कर दे। संविधान निर्माताओं ने समाज के साथ इस सीमा तक विश्वासघात किया कि उन्होंने संविधान मे वर्णित मूल अधिकार संशोधन तक के असीमित अधिकार अपने पास ही समेट लिये। विधायिका ने अपने इस अधिकार का इस सीमा तक दुरुपयोग शुरू किया कि उसने संविधान मे संशोधन करके एक ऐसा प्रावधान बना दिया कि विधायिका किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से भी बाहर रख सकती है।

उन्नीस सौ तिहाय ते केशवानन्द भारती केश मे तेरह जजों की सर्वोच्च बेंच ने सिफ एक के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद को संविधान मे संशोधन करने के अधिकार उस सीमा तक ही हैं जहाँ तक उसका मूल ढांचा प्रभावित न हो। न्यायालय ने उसके बाद आज तक मूल ढांचा की कभी व्याख्या नहीं की।

आपातकाल लगने के बाद संसद ने केशवानन्द भारती निर्णय को फिर किनारे करने की कोशिश की। तेरह न्यायधीश बैठे। मुख्य न्यायधीश निर्णय को किनारे करने के पक्ष में थे। अन्य कुछ लोग पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। मतदान के पूर्व ही मुख्य न्यायधीश ने विचार को समाप्त घोषित कर दिया। इस विचार मंथन के समय सरकार ने तर्क दिया था कि आपातकाल में मूल अधिकार निलम्बित हो जाते हैं तथा सरकार को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये गोली मार दे। तीस वर्ष बाद न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को किसी भी संविधान संशोधन द्वारा अपने कानून को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने के असीम अधिकार नहीं हैं।

इस तरह न्यायालय ने विधायिका के कुछ अवांछित पंख कतर कर एक अच्छा काम किया। जनता ने न्यायपालिका को भगवान के समान मानना शुरू किया क्योंकि उसने ही समाज को विधायिका के खूनी पंजे से बचा लिया था। अब न्यायपालिका की बारी आई। न्यायपालिका ने भी स्वयं को समाज से उपर मानना शुरू कर दिया। बदनाम विधायिका तो न्यायपालिका पर कोई अंकुश लगा ही नहीं सकती थी और समाज को किसी पर कोई अंकुश लगाने का कोई अधिकार था ही नहीं। समाज पांच वर्ष में एकबार सिर्फ नयी संसद को ही बना सकता है और संसद इतनी बदनाम हो चुकी है कि उसे न्यायपालिका के सीमा अतिक्रमण के विरुद्ध कुछ बोलने तक की हिम्मत नहीं।

इस समय न्यायपालिका को समाज के बीच सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। विचारणीय प्रश्न यह नहीं है कि उसके जज कौसे हैं? विचारणीय प्रश्न यह है कि यह प्रक्रिया कितनी ठीक है। संविधान संशोधन के असीम अधिकार संसद को दिये जाने के दुष्परिणाम पर्यहत्तर के आपात्काल के रूप में सामने आया और तब पता चला कि ऐसे अधिकारों का किसी सीमा तक दुरुपयोग संभव है। अतः न्यायिक प्रक्रिया को विधायिका और कार्यपालिका के उपर असीम अधिकार देने की प्रक्रिया की समीक्षा आवश्यक है। मैं दो तीन मामलों की चर्चा करना उचित समझता हूँ जो न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा आवश्यक मानते हैं।

केशवानन्द भारती प्रकरण में तेरह में से सात जजों ने यह माना कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन के असीम अधिकार प्राप्त नहीं हैं। दूसरी ओर छः न्यायधीशों ने ऐसे अधिकार को स्वीकार किया। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के तेरह में से छः न्यायधीश संसद सर्वोच्च के पक्ष में थे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि उस समय सिर्फ एक जज इधर से उधर हो जाता तो भारत के संसदीय लोकतंत्र का सम्पूर्ण ढांचा इधर से उधर हो गया होता। तब संसद आपात्काल को भी पूरी तरह आदर्श घोषित कर देती। तब सरकार किसी भी सीमा तक बिना कारण बताये गोली मार सकती थी। क्या हम ऐसी न्यायिक प्रक्रिया को आदर्श कहें जिसमें एक सौ इक्कीस करोड़ लोगों का भाग्य किसी एक व्यक्ति के हां और ना पर आकर टिक जावे और ऐसे निर्णय की कहीं अपील का भी कोई प्रावधान न हो। यह न तो कोई साधारण सा कानूनी मामला था न ही सिर्फ साधारण संवैधानिक मामला। यह तो पूरा का पूरा सम्पूर्ण समाज और राज्य के आपसी सम्बन्धों का मामला था। आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं तो हमें अन्तिम निर्णय मानना ही होगा। मैं भी समझता हूँ कि यदि इसके उपर भी कोई कोर्ट बने तो वहाँ भी ऐसी स्थिति आ सकती है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या ऐसी समस्या का समाधान नहीं खोजा जाना चाहिये। आदर्श स्थिति तो यह होती कि भारतीय संविधान में ऐसी स्थिति की कल्पना करके उसकी व्यवस्था होती और यदि अब तक नहीं है तो अब ऐसी व्यवस्था पर सोचा जाना चाहिये। न्यायपालिका सर्वोच्च है यह बात जबरदस्ती समाज के बीच षड्यंत्र पूर्वक फैलाई जा रही है। न्यायपालिका ने केशवानन्द भारती प्रकरण में निर्णय देकर निरंकुश विधायिका से समाज की रक्षा की है यह बात सच है किन्तु हम दुबारा वैसी ही भूल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया भी आदर्श न होकर विकल्प तलाश रही है। अब तक हमारे समक्ष उतना खतरा नहीं था कि कभी न्यायपालिका अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी कर सकती है किन्तु अब कुछ कुछ इसलिये दिखने लगा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के भी अधिकार समेटने में लगी है और विधायिका के भी। हम भुगत चुके हैं कि हमारी राजनैतिक शक्ति के पास ऐसे अधिकार इकट्ठे होने लगे तब तीस चालीस वर्ष बाद हमें खतरा आभास हुआ। अब यदि न्यायपालिका इस तरह करेगी तब भविष्य की चिन्ता तो स्वाभाविक ही है।

आखिर न्यायपालिका में भी मनुश्य ही हैं। वे भी दया धर्म न्याय लोभ लालच से प्रभावित हो सकते हैं। हमने एक केश को समझने का प्रयास किया। एक व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में जेल में बन्द किया गया। उस व्यक्ति ने मुकदमा चलते तक जमानत के लिये दरखास्त दी। दरखास्त सर्वोच्च न्यायालय तक ने यह कह कर कई बार खारिज की कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए केश चलते तक भी इसे बाहर रखना खतरनाक होगा। दो वर्ष बाद उसे किसी तरह जमानत मिली। केश का फैसला हुआ। आरोप प्रमाणित हुए। व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ। दुनिया भर में हल्ला हुआ। मीडिया ने भी प्रश्न उठाये। राजनीति भी सक्रिय हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने उसी दोष सिद्ध व्यक्ति को इस टिप्पणी के साथ जमानत दे दी कि ये आरोप किसी भी रूप में खतरनाक नहीं हैं। विचारणीय प्रश्न जमानत का न होकर उस टिप्पणी का है। न्यायपालिका एक संवैधानिक इकाई है, कोई व्यक्ति नहीं। किसी व्यक्ति को आरोप परीक्षण के दौरान इतना गंभीर अपराधी माना जाय कि उसका बाहर घूमना भी खतरनाक है और उसी व्यक्ति को वही न्यायालय वही आरोप सिद्ध हो जाने के बाद ऐसा सामान्य अपराध मान ले जैसे कि यह कोई खास अपराध ही नहीं है तो प्रश्न उठता है कि दोनों में अन्तर क्या हुआ? व्यक्ति वही। अपराध वही। न्यायालय वही। परीक्षण के दौरान अपराध बहुत खतरनाक और सिद्ध तथा सजा होने के बाद अपराध बहुत मामूली। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बात बाद में मीडिया और विदेशी चर्चाओं के बाद न्यायपालिका के समझ में आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायपालिका प्रचार से प्रभावित हो गई? जिस व्यक्ति को दो वर्ष तक जिस आरोप में जेल में रहने के कारण समाज ने जो धारणा बना ली उस समाज को अब उस व्यक्ति के आरोप प्रमाणित होने के बाद भी उसी न्यायालय की टिप्पणी ने भ्रम में डाल दिया कि एक ही न्यायालय की दो भूमिकाओं के बीच न्याय क्या है?

हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका आये दिन सरकार से पूछती रहती है कि इस समस्या के समाधान के लिये आपकी योजना क्या है? इसके साथ ही न्यायपालिका सरकार से यह भी पूछती है कि आपके समाधान की समय सीमा क्या है और कभी कभी तो न्यायपालिका ऐसे प्रयत्नों को अपर्याप्त मानकर अपनी ऐसे आई टी अर्थात मोनिटरिंग कमेटी भी बना देती है। मैं आज तक नहीं समझ सका कि हमारी न्यायपालिका वर्तमान सरकार से नक्सलवाद के समाधान नहीं कर पा रहीं और जो काम सरकार नहीं कर पा रही वह काम न्यायालय के हस्तक्षेप से तत्काल संभव हो जा रहा है। या तो न्यायपालिका नक्सलवाद को गंभीर खतरा नहीं समझ रही अथवा वह इसे इतना गंभीर मानती है कि हाथ डालना ही नहीं चाहती। कारण क्या है वह वे जाने। मुझे ऐसा लगता है कि यदि न्यायपालिका इस समस्या के समाधान का जिम्मा ले ले तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था पर आये एक खतरे से मुक्ति मिल जायगी। मुझे विश्वास है कि न्यायालय ऐसी पहल करेगा।

इस समीक्षा के बाद भी यह प्रश्न नहीं सलझा कि इसका समाधान क्या है? विधायिका के खतरे से न्यायपालिका ने बचाया और न्यायपालिका से संभावित खतरे से बचने के लिये पुनः विधायिका को सशक्त करना तो और भी ज्यादा घातक होगा। निरंकुश विधायिका निरंकुश न्यायपालिका की अपेक्षा कई गुना ज्यादा खतरनाक सिद्ध होगी। न तो हम न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति को आदर्श कहने की स्थिति में है न ही कुछ वर्ष पूर्व की विधायी निरंकुशता का समर्थन कर सकते हैं। हमें इन सबसे अलग हटकर कोई मार्ग तलाशना होगा। न विधायिका की नीयत में दोष है न न न्यायपालिका के। दोष तो है सिफ अधिकारों के केन्द्रीयकरण में। भारतीय संविधान को गाड़ी में लगे गर्वनर के समान होना चाहिये था जिसकी गाड़ी के किसी संचालन में किसी प्रकार की भूमिका तो न हो किन्तु वह गाड़ी को एक सीमा से आगे जाते ही नियंत्रित कर ले। भारतीय संविधान लूपी ऐसा गर्वनर तो है किन्तु गाड़ी निर्माता ने यदि यह भूल कर दी कि गाड़ी का डाइवर या यात्री, गर्वनर में तय चाल को कम ज्यादा कर सकता है तो गर्वनर का उपयोग अप्रभावी हो जायगा। हमारे संविधान निर्माताओं से उस समय चाहे जो भूल हुई हो किन्तु अब तो वह भूल सुधारनी ही चाहिये। सर्वोच्च विधायिका है या न्यायपालिका यह प्रतिस्पर्धा तब तक तो चल सकती है जब तक सर्वोच्च समाज न हो किन्तु यदि एक बार समाज ने यह घोषित कर दिया कि हम सर्वोच्च हैं तो ये विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जायेंगे। भारतीय संविधान लूपी गर्वनर भी हमारे पास है जो इन तीनों की सीमा से आगे जाते ही उन्हें नियंत्रित कर सकता है किन्तु हमसे यह भूल हुई कि उस संविधान से छेड़छाड़ के भी व्यापक अधिकार हम उन्हें ही दे बैठे।

आज अन्ना जी की टीम कुछ सार्थक प्रयास कर रही है। लोकपाल आंदोलन कोई व्यापक सुधार नहीं कर पायेगा। यह तो इस संघर्ष का पहला चरण है। चाहे अन्ना जी जीतें या सरकार किन्तु इसका दूसरा चरण राइट टू रिकाल से शुरू होना चाहिये। उसमें चाहे हम जीतें या हारें किन्तु इसका तीसरा चरण ग्राम सभाओं को विधायी अधिकार से शुरू होना चाहिये। और तब उसके बाद इस लडाई का चौथा चरण संविधान संशोधन अधिकार का होगा और यह चरण अन्तिम तथा निर्णायिक होगा। संविधान हम भारत के लोगों का है जिसे हमने तंत्र को सौंपा है। वह भी कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के समन्वय की शर्तों पर। यदि ये आपस में एक मत न हों अथवा ये हमारे ही विरुद्ध एक मत होने का प्रयास करें तो हमें यह आवाज उठाने का अधिकार है कि हम संविधान संशोधन का अधिकार एक नई व्यवस्था को देना चाहते हैं। एक ऐसी समिति बने जो कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका तथा नागरिक समिति के लोग बनावें और वह समिति ऐसा प्रारूप बनावे जो संविधान संशोधन प्रक्रिया के लिये उपयुक्त हो। इस संविधान संशोधन समिति में तंत्र से जुड़े लोग न हों क्योंकि तंत्र तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव देगा ही। वही प्रस्ताव करे, वही समीक्षा करे और वही पास करे यह गलत है। तंत्र से बाहर की समिति उक्त प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार या संशोधन का सुझाव दे सकती है। तंत्र तथा लोक समिति मिलकर जो तय करेंगे वही संशोधन संविधान में होगा, अन्यथा नहीं। हमें अन्त में तो यहीं आकर लडाई समाप्त करनी होगी। आज भले ही हम लोकपाल से शुद्ध करें यह अलग बात है।

हमने संविधान लूपी हम्माम में तीन शक्तियों को छोड़ दिया है। तीनों एक दूसरे को नंगा सिद्ध करने के प्रयास में हमें ही परेशान कर रही है। हमें न तो इन तीनों के विवाद में पड़ना चाहिये न ही किसी भी एक से कोई ज्यादा उम्मीद करनी चाहिये। हम तो उस तालाब का एक बार पानी निकाल दें तो सारी समस्याएँ सदा के लिये सुलझ जायेंगी। क्योंकि तब तीनों को पता चल जायगा कि हम्माम में सब नंगे हैं। कपड़े वाला तो बाहर बैठा है जिसने हम्माम का पानी बाहर निकाल कर हमे यर्थार्थ बता दिया है।

## यवा संवाद जुलाई ग्यारह का सम्पादकीय

जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध

निरंकुश राज्य पर अंकुश लगाने और व्यवस्था में अधिकतम पारदर्शिता लाने के लिए एक तरह से महाभारत की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लोकपाल कांति भी कह सकते हैं या पारदर्शिता कांति भी। एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार है जिसने आंदोलन, अनशन और नागरिक समाज का किसी तरह का दबाव न मानने और उससे सख्ती से निपटने का संकल्प ले रखा है तो दूसरी तरफ एक बूढ़े की नैतिक ताकत के सहारे खड़ा नागरिक समाज बिना कुछ हासिल किए पीछे हटता नहीं दिखता। अन्ना हजारे और उनके साथियों ने चेतावनी दे रखी है कि अगर 15 अगस्त तक जन लोकपाल नहीं बन पाया तो वे 16 अगस्त से फिर अनशन पर जाएंगे। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आर महासचिव राहुल गांधी ने ऐसे किसी आंदोलन के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकल्प लिया है और जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन असली इरादे तो वी पी सिंह और अर्जुन सिंह बनते – बनते अमर सिंह बनने का लोभ पाल लेने वाले दिग्विजय सिंह के बयानों में दिखाई पड़ता है। दिग्विजय सिंह भले बाद में अपने बयान से पलट गए हों लेकिन उनके इस बयान का खास मतलब है कि अगर इस बार अन्ना ने अनशन किया तो उनकी भी स्थिति वही की जाएगी जो रामदेव की हुई है। बाद में कांग्रेस कार्य समिति ने भी लगभग वही रुख अपनाया है। इसी के साथ दिग्विजय सिंह बार–बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का भी आहवाहन भी कर रहे हैं। ध्यान देने की बात है। कि उनके बयानों में कहीं भी यह बात नहीं कही जाती कि इस देश की गरीबी को मिटाना है या समानता लानी है। यह सब बातें वे सामाजिक न्याय के बोट बैंक वाले एंडेंडे के तहत भले करें लेकिन उसे वे उस व्यापक विमर्श में नहीं लाते जिससे नीतियों में बदलाव हो। वे मानते हैं कि एक तरफ युवराज को सत्ता देने की तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ विधि डालने वाला नागरिक समाज आंदोलन करने पर आमदा है। ये दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। कांग्रेस जुलाई के पहले हप्ते में होने वाली सर्वदलीय बैठक में अपने मसौदे को मंजूरी दिलाना चाहती है तो अन्ना हजारे और उनके साथी अपना शुद्धतावाद छोड़कर राजनीतिक दलों से समर्थन जुटा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपना पक्ष भाजपा के विरुद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी के सामने रखा है। वे अन्य दलों के पास भी जाएंगे। यह काम सरकार और कांग्रेस पार्टी भी करेगी। ऐसे में यह सवाल बहुत बड़ा है कि क्या किया जाए? यह धर्मसंकट उनके सामने बहुत बड़ा है जो न तो कांग्रेसी हैं न ही भाजपाई। न ही धर्मनिरपेक्ष बनने के लिए कांग्रेस के प्रमाणपत्र की आवश्यकता है न ही ईमानदार दिखने के लिए भाजपा के सनद की। तो जी से होते इस राजनीतिक धूमीकरण में वे लडाई को किसी और दिशा में मोड़ नहीं सकते और अपना इस्तेमाल होने देना नहीं चाहते। क्या वे भीष्म और कृपाचार्य की तरह उनके साथ हो लें जिनका उन्होंने अन्न खाया है? या वे विदुर की तरह उपदेश देकर खामोश हो जाएं और युद्ध के लिए लाचारी जता दें? ऐसा व्यवहार वास्तविकी और समाजवादी बुद्धिजीवी कर रहे हैं। या वे कृष्ण की तरह इस युद्ध में अपनी सेना दुर्योधन के साथ भेज दें और स्वयं अर्जुन के साथ हो लें और हथियार न उठाने की कसम खाते हुए समय–समय पर हथियार उठाते रहें? एक विकल्प बरबरीक बनने का भी है जो युद्ध में कमजोर पड़ते किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध करने को तैयार रहता था। हालांकि कृष्ण ने उसे युद्ध नहीं लड़ने दिया और उसके पहले ही समाप्त कर दिया। हो सकता है इस बरबरीक को मरने के बजाय जिंदा

रखा जाए और उसे युद्ध में भ्रम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए । सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में सक्रिय नागरिक समाज ऐसा ही कर रहा है । वह सरकारी नागरिक समाज बनकर एक तरफ विधेयक तैयार करवाता है तो दूसरी तरफ जब सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधि यह धमकी देते हैं कि यह हक नागरिक समाज का नहीं है तो वे चुप हो जाते हैं ।

इसके अलावा एक तरीका बलराम का था । वे महाभारत छिड़ने के समय चारों धाम यात्रा पर निकल गए थे । आखिर में लौटे तो जब सारी बुराइयों की जड़ में बैठा उनका शिष्य दुर्योधन अनीति से मारा जा रहा था तो गुस्से से उबल पड़े । इनमें से कोई न कोई भूमिका हम सभी को पुकार रही है । लेकिन एक बात स्पष्ट लग रही है कि चाहे इसे पारदर्शिता क्रांति कहें या लोकपाल क्रांति पर इसके प्रति आम जनता में एक तरह की ललक पैदा हुई है । यह ललक इसलिए पैदा हुई है कि उदारीकरण ने पिछले बीस सालों में बेहद भ्रष्ट शासक और कूर व्यवस्था को जन्म दिया है । भ्रष्ट वे भी हैं जो बेहद शालीन दिखते हैं और वे भी जो अशिष्ट और और अभद्र । आखिर इस बात से कौन इंकार कर सकता है । आज उत्तरप्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ में भ्रष्टाचार ही है । काढ़ा तैयार किया है । उससे समाज का स्वास्थ्य ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ता जा रहा है । उसने समाज में एक विकृत बदलाव किया और राज्य के तंत्र को या तो अपने चरणों में या शैया पर लिटा दिया है । यह भ्रष्ट व्यवस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भ्रष्ट अध्यक्ष की नोटिसों से नहीं सुधरने वाली है न ही सुप्रीम कोर्ट के पार्टटाइम निगरानी या कार्यक्रमों से । न ही इसके खिलाफ होने वाली लोकपाल क्रांति को सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की दीवारों से रोका जा सकेगा । लड़ाई शुरू हो चुकी है और उसका एक चरण पूरा भी हो चुका है । अब वह उस कठिन दौर में प्रवेश करने जा रही है जहां सत्ता पर सीधे आंच आने वाली है । इसलिए अपनी अपनी भूमिका की तैयारी करनी होगी । वरना दिनकर के शब्दों में जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध ।

## पत्रोत्तर

### 1. आचार्य पंकज, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच, रिषिकेष हरिद्वार

प्रश्न—राजाओं के राज्यों में जो ऐतिहासिक पाठ हमने सीखे, वे अब काम के नहीं रहे । जब तक इन पाठों को हम न भूलेंगे, लोक—राज मजबूत नहीं होगा । आज तक तो सत्ता—परिवर्तन ही होता रहा, पर अब जीवन—परिवर्तन के दिन आये हैं और इस जीवन—परिवर्तन की बुनियाद में बड़ा ही कांतिकारी मानस—परिवर्तन है । यह मानस—परिवर्तन भारत के कोने—कोने तक, गाँव—गाँव तक अभी पहुंचा नहीं है । इसीलिये समाज—परिवर्तन करने में कठिनाइयों महसूस होती है और लोक—राज स्थापित होने में देर लग रही है । पुरानी—राजनीति, पुराना इतिहास और पुराने धर्मशास्त्र अब कालग्रस्त हो गये हैं । उनका स्थान अब लोक—जीवन में नहीं, किन्तु अजायबघरों में है । हर एक धर्म की अपनी शास्त्र—ग्रन्थों की पूंजी होती है । इन धर्म—ग्रन्थों के बल पर ही धर्मों का राज आज तक चला । अब ऐसे दिन आये हैं कि धर्म—ग्रन्थों का राज भी टूट रहा है । शास्त्रों द्वारा किया हुआ जीवन—संगठन हजारों बरस चलकर अब खोखला हो रहा है । गान्धी, बिनोबा, काका कालेतकर, जयप्रकाश और डॉ लोहिया आदि ने इसी भाव—भूमि को अपने—अपने चिन्तन में समाविष्ट किया है । ज्ञान—यज्ञ के माध्यम से आप भी संभवतः वही कर रहे हैं । अन्तर यह है कि आप डॉ लोहिया तथा जयप्रकाश की तरह कियात्मक भी हैं । ज्ञानतत्व में इस सन्दर्भ में आपका विचार पढ़ने को मिलेगा तो अवश्य हीं मुझे खुशी होगी ।

उत्तर—मैं आपकी भावना से पूरी तरह सहमत हूँ यद्यपि यह कथन कुछ एक तरफ झुक गया है । जो कुछ प्राचीन है वह पूरी तरह गलत है ऐसा मानना ठीक नहीं और जो कुछ पुराना है वह पूरी तरह आदर्श है ऐसा मानना भी ठीक नहीं । पुराने और नये की समीक्षा करके निष्कर्ष निकालना ही उचित होता है । वर्तमान व्यवस्था पुराना सही और पुराना गलत कहने वाले दो अतिवादी समूहों के बीच फंस कर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई है । ये दोनों समूह न मन्थन करना चाहते हैं न सत्य स्वीकारना चाहते हैं । ये समूह व्यावसायिक पक्षकार बन गये हैं जो येन केन प्रकारेण दिन रात अपने पक्ष का प्रचार प्रसार करते रहते हैं । ये दोनों ही समूह सामान्य लोगों को भी किसी न किसी गुट में संगठित करते रहते हैं जिस कारण तटस्थ लोगों की संख्या घटती जा रही है और इन गुटों की संख्या बढ़ते जा रही है । इन दोनों ही गुटों की ताकत इस तरह बढ़ रही है कि ये दोनों गुट आपस में हिसक स्वरूप भी ग्रहण कर लेते हैं । इन दोनों ही गुटों ने किसी रूप में राजनैतिक सत्ता में भी अपनी घुस पैठ कर ली है । यह स्थिति हम सबके लिये बहुत खतरनाक है ।

हम आप जैसे कुछ लोग समाज के दोनों गुटों से दूर स्वयं निष्कर्ष निकालने वाले बचे खुचे लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं । आप जानते हैं कि दोनों ही गुटों के लोग हमारे विरुद्ध दुष्प्रचार में संलग्न रहते हैं । हम जब कहते हैं कि मृत महापुरुषों के विचार बिना स्वयं समीक्षा किये यथावत् स्वीकार करना धातक है तो पुरातन पंथियों को कष्ट होता है । वे अपने—अपने धेरों को हमसे दूर रहने की सलाह देना शुरू कर देते हैं । किन्तु जब हम कहते हैं कि प्रेम विवाह को प्रोत्साहन देना परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था को किनारे करके व्यक्ति परिवार और समाज के संतुलन को क्षति पहुंचाती है तब नयी समाज व्यवस्था के ठेकेदार हमारे खिलाफ उछलना शुरू कर देते हैं । जब हम कहते हैं कि बार—बार मृत महापुरुषों के आचरण अथवा उन ग्रन्थों के आधार पर अपनी बात पुष्ट करने की अपेक्षा कुछ अपनी स्वयं की बात भी प्रस्तुत करने की आदत डालनी चाहिये तो पुरातन पंथी नाराज हो जाते हैं । दूसरी ओर जब हम कहते हैं कि बार—बार संविधान की धाराओं को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करना अच्छी आदत नहीं तो आधुनिक लोगों को बुरा लगता है । इसी तरह जब हम कहते हैं कि धर्म से समाज उपर है तो पुरातन पंथियों को कष्ट होता है और जब हम कहते हैं कि राज्य और राष्ट्र से भी समाज उपर है तब आधुनिक लोगों को कष्ट होता है । ऐसी अनेक बातें हैं जो दोनों ही गुटों को कष्ट पहुंचाती हैं ।

हम सबकी स्थिति यह है कि इन दोनों ही गुटों के विरोध से हमें आभास होता है कि हम निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं । ये दोनों ही गुट हमारे किसी तर्क का उत्तर न देकर व्यक्तिगत आलोचना शुरू कर देते हैं जो उनकी कमजोरी प्रकट करता है । हम न तो कोई संगठन बना रहे हैं न ही किसी विशेष किया में संलग्न हैं । आपने मेरे प्रयत्नों की तुलना गांधी लोहिया जयप्रकाश से की जो पूरी तरह गलत है । गांधी लोहिया जय प्रकाश ने जो किया वह प्रत्यक्ष दिखता है । इन तोनों महापुरुषों ने समाज को एक दिशा दी । मैं तो वैसा कुछ न कर पा रहा हूँ न ही उतनी क्षमता और योग्यता है । मैं तो मात्र इतना ही समझा पा रहा हूँ कि स्वयं विचार मन्थन की शक्ति को सशक्त करो, किसी के पीछे आंख मूँदकर मत चलो, मेरे साथ भी नहीं, अपनी स्वतंत्रता को कायम रखो, किसी भी धेरों में गुलाम सरीखे रहना छोड़ो । मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरे कथन पर भी मन्थन करो और जो ठीक लगे वह मानो और जो गलत लगे उसका विरोध करो । यदि कोई व्यक्ति मेरा विरोध करता है

तब मुझे बुरा लगता है और मैं समझता हूँ कि यह व्यक्ति किसी न किसी गिरोह से अवश्य जुड़ा है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति मेरे विचारों का विरोध करता है तब मुझे खुशी होती है और मैं मानता हूँ कि यह व्यक्ति सत्याचेष्टी है, संतुलित है। मैं जैसा भी हूँ या मेरे जो भी विचार हैं वे सब आप जैसे विद्वानों के माध्यम से ही एकत्रित हुए हैं। मेरी जो भी सक्रियता दिखती है उसमें भी नाम भले ही मेरा दिखता हो किन्तु सच्चाई यह है कि मैं तो ज्ञान तत्व में लिखने के अतिरिक्त कुछ करता ही नहीं। जो भी होता है वह आप सब करते हैं और नाम मेरा ले लेते हैं। आगामी नवंबर माह की आठ तारीख से चालीस दिनों तक उत्तर भारत के पचहत्तर स्थानों पर ज्ञान यज्ञ परिवार, व्यवस्था परिवर्तन मंच, लोक स्वराज्य मंच, लोक संविधान सभा आदि मिलकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे और जिसमें आप विद्वानों के साथ मैं भी रहूँगा। अन्य विवरण बाद में जायगा।

## 2 श्री सत्यमेव गुप्त रुदौली बाराबंकी उत्तरप्रदेश

प्रश्न— पाँच हजार वर्ष बीत गए हम निरंतर पतन मार्गी होते गए। धार्मिक सामाजिक राजनीतिक चेतना के अभाव में हम में सामूहिक राष्ट्रीयता घटती गयी। मुगलों के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। भारत के इस आत्महत्ता युग में एकाएक गुजरात में महर्षि दयानंद का प्रकट हुआ। ऋषि ने भारत की प्रत्येक रुग्ण नाड़ी का वैध की भांति निरीक्षण किया तथा उपचार स्वरूप उन्होने आर्यसमाज की स्थापना की। अर्थात् अनेक दयानंद प्रांत प्रांत में आर्य स्वयं सेवी संगठन। भारत में विदेशी शासन ने भी उसे समझा और बड़ी युक्ति से स्वामी जी के रसोइये के द्वारा स्वामी जी की जीवन लीला समाप्त करवा दी। परंतु आर्यसमाज ने तो स्वयं को ही स्वामी जी के रूप में पुनर्जीवित कर लिया। आर्य समाज के स्वयं सेवकों ने ही स्वाधीनता संग्राम का सफल आंदोलन चलाया तथा आर्य समाजी स्वयं सेवक एक एक करके राष्ट्र की बलि वेदी पर न्योछावर होते गये। इस स्वतंत्रता समर में लगभग सभी आर्य सिपाही शहीद हो चुके थे तो नए विचारों वाले पथ प्रदर्शक भारत में उत्पन्न हो गए और उतावले पन में भारत की हत्या के षड्यत्र में सहभागी बने परिणाम स्वरूप पाकिस्तान बना। विदेशी संस्कृति और सम्यता के पोषक भारत के कर्ण धार बन बैठे। भारत में नेहरू तथा पाकिस्तान में इस्लाम धर्म का राज्य स्थापित हुआ। कहते हैं कि जवाहर लाल नेहरू के पिता श्री मोती लाल नेहरू की मुस्लिम उपपत्नी थी—कुछ लोग मिठा जिना को भी जवाहर लाल का भाई कहते हैं। मेरे पास ऐसा कोई प्रणाम नहीं हैं जिससे इस वंश की वंशावली पर प्रमाणित सामग्री उपलब्ध करवा सकूँ। नेहरू जी को आरंभ में भारतीय सम्यता संस्कृति से विशेष लगाव नहीं था। उन्होंने भारत की बहुत सारी भूमि वंजर कहकर चीन को दे डाली। उस समय वे भारत के सर्वाधिक प्रिय राज कूमार एवं नृपति थे उन्होंने जिन्ना को पाकिस्तान दिया उन्होंने अपने मुस्लिम भाई शेख को कश्मीर का राज्य प्रदान किया। उस समय कश्मीर में हिन्दू राज्य था।

आर०एस०एस० नाम की एक गैर राजनीतिक संस्था थी जिसकी शाखाएं लगभग सारे भारत में थी। हिन्दू विचार धारा की इस संस्था का मुख्य कार्य बिखरे हुये विभिन्न हिन्दू समाज को संगम के रूप में शक्तिशाली बनाना था। इसके स्वयं सेवकों ने अपने कौशल से भारत की सन्य सहायता पहुँचने तक कश्मीर को पाकिस्तान के जबड़ों में जाने से बचाये रखा। यह रहस्य ही है कि जाति पांति न मानने वाले नेहरू परिवार के किसी पुत्र पुत्री का वैवाहिक संबंध किसी मुस्लिम परिवार से नहीं जुड़ा जब कि इनके परिवार की एक महिला का संबंध एक राजनीतिक मौलाना से था। नेहरू जी का लेडी माउंट बेटन का इश्क तो सर्वविदित ही है। पाकिस्तान इस्लामी राज्य बना तो भारत के हिन्दू राज्य स्थापना की भावना प्रबल हो गई जिस का भारत में ही विरोध हुआ। कांग्रेसी शासन ने तो हिन्दू विचार धारा के वध का निर्णय ही कर डाला। नेहरू शासन ने कश्मीर में भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषणा कर दी कि भारत मेरा देश है मेरे देश का प्रत्येक प्रांत भी मेरा है वहाँ जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपना वनवान पूरा किया और नेहरू ने भी। मुखर्जी कश्मीर गए और उनकी हत्या करवा दी गई। नेहरू सरकार का कुछ नहीं बिगड़ा। तत्कालीन पत्र पत्रिकाएं इस कृत्य की साक्षी हैं। तब से अब तक ऐसी हत्याओं का क्रम जारी है।

जवाहर लाल नेहरू विदेशी संस्कृति के पुजारी राजनीति के कुशल खिलाड़ी थे। ये राजनीति में धर्म के विराधी थे नास्तिक थे। हजरत मुहम्मद के प्रशंसक थे भारतीयता के प्रबल विराधी थे। जिहालती तक कह देते थे। कहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उनके भीतर भी भारतीयता के जीवाणु पनपने लगे थे।

चीन युद्ध के पश्चात नेहरू जी अस्वस्थ रहने लगे थे। राज नीति में उत्तरने से पूर्व वानर सेना की संचालिका मेरे नगर रुदौली में आई। कोई भीड़भाड़ नहीं थी मात्र इंदिरा को।

किंदवई साहब जिन्होंने साठ रूपये तोला सोना तथा एक रु में नौ सेर चना बिकवाया था उन दिनों किसी कारण वश अदृश्य चल रहे थे। एकाएक रुदौली में वे प्रकट हो गए। इंदिरा जी के मंच पर भी आये बैठे किंतु बोले कुछ नहीं। इंदिरा जी बोलने के लिए खड़ी हुई बोली पिता का संदेश और आर्शीवाद ले कर आप के बीच आई हूँ। कहते कहते उन्होंने विस्फोट किया कि मैं एक हिन्दू नारी हूँ। निश्चिंत निर्भीक होकर नेहरू की बेटी बोल रही थी। बहुत फुसफुसाहट हुई। किंदवई साहब बिना किसी प्रतिक्रिया के मंच से उत्तर कर चले गए। दूसरे दिन के दैनिक स्वतंत्र भारत की यह मुख्य खबर बनी। नेहरू जी के अवसान पश्चात् शास्त्री जी की हत्या के बाद इंदिरा को कुर्सी मिली। चारों और राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी और वह नन्ही अकेली इंदिरा। लोग खेलने खिलाने के मूँड में थे कि दृश्य ही बदल गया—सब कठपुतली की भांति नाचने लगे। नचाने वाली इंदिरा कांग्रेस में दो फाड़। मंजे हुए चतुर खिलाड़ी एक और तथा छुट भइये और धूर्त इंदिरा के साथ। चुनाव में इंदिरा विजयी। लोग विस्मित। न्यायालय से इंदिरा पार्टी शासन के अयोग्य घोषित। किंतु उन्हीं चाटुकार लोगों को साथ ले कर कर दी इंदिरा ने आपात काल की घोषणा। भारत ही नहीं पूरा विश्व हक्का बक्का। साथी चाटुकार धूर्तों ने खूब दांव चले। बदनामी का ठीकरा इंदिरा के उपर। भारत अपलक देख रहा था—भारत की जनता भी अनुभव कर रही थी एकाएक पूरे देश में शांति छा गई चोरी डकैती हत्या का पारा शून्य पर। सरकारी अधिकारी व्यापारी सभी ईमानदार हो गए। बड़े बड़े बाहुबली भेड़िए अपनी अपनी मांदों में छिप गए। इंदिरा का फरमान सब का हक्समान न हिन्दू न मुसलमान एक समान कानून सब के लिए विशेषाधिकार किसी को नहीं परिवार नियोजन सब पर समान हस्तक्षेप कर रहा था।

मैं भी भ्रमित हो गया इंदिरा के विरोध में बड़ी ही कट कविता लिख दी। आपात काल समाप्त जनता में आजादी का उल्लास इन्द्रासन हिल गया। विदूषक राज नारायण ने मजाक मजाक में चुनाव जीत लिया। मुसलमानों के लिये परिवार नियोजन की अनिवार्यता समाप्त। थोड़े दिन जनता राज। सारे देश का शांत वातावरण छिन्न भिन्न। नेता मस्त जनता त्रस्त। फिर चुनाव जनता ने प्रियदर्शीनी को शीश पर उठा लिया। अनुशासन पर्व के बिना ही पहले से भी अधिक शक्ति अर्जित कर ली इंदिरा ने बिना किसी दबाव के।

मुसलमानों में बर्थ कन्ट्रोल पर सब को समान रूप से लागू करने पर बहुत गुस्सा था—संजय गांधी से तो वे बहत नाराज थे । गुप्त षड्यंत्र द्वारा संजय गांधी की हत्या करवा दी गई । गुप्त रूप से इस हत्या का लान्छन इंदिरा के चरित्र हनन से जोड़ दिया गया । कहा गया कि इंदिराबिलास की गुप्त रीलें संजय ने पकड़ ली थी इसी भय से इंदिरा ने अपने ही बेटे की हत्या करवा दी । देश से विदश तक षड्यंत्रों के जाल राजनीति के ताल में फेंके जाने लगे । पूर्व पाकिस्तान के नाम पर अमरीका का साथ ले कर भारत से छल युद्ध । यहियाखों दहाड़े हमारा सामना भारत की एक मक्कार औरत से है । अटल ने कहा भारत में दुर्गा का अवतार हो चुका है । भट्टों ने कहा—भारत से हम चौदह सौ बरस तक लड़ते रहेंगे । नतीजा चौदह दिन में ही। तिरान्नवे हजार पाकिस्तान फौज इंदिरा के कदमों में । यदि पाकिस्तान चौदह सौ वर्षों तक दुर्गा से युद्ध करता तो अंजाम खुदा ही जानता ।

अब पाकिस्तान ने तब के ओसामा बिन लादेन संतभिड़रा वाले के इंदिरा के सामने भेज दिया । मुसलमान षड्यंत्रों के माहिर माने जाते हैं । संत भिडरावाले के आगे आने से सारे सिख इंदिरा विराधी हो गए—गुरु गोलवलकर के देहावसान पर इंदिरा ने उन्हे श्रद्धांजलि दे दी थी—फलतः धर्मनिरपेक्ष कांग्रेसी हिन्दु आग बूढ़ा हो गए । आर०एस०एस० ने भी इंदिरा से दूरी बनाये रखी । गुरु गोलवलकर का पंचाधिकम् शतम् इंदिरा के कोइ काम न आ सका—कोई तपोनिष्ठ आर्य समाजी कांग्रेस में शेष नहीं था । दुर्गा अकेली हो गई । महाभारत को द्रोपदी के बाद पदिमिनी का जौहर कुछ और भी नाम भिल सकते हैं परंतु इन सब में इंदिरा मात्र एक नाम है जो अपने ही रक्षक द्वारा नोच डाली गई । उसे हिंदू नारी होने की भरपूर सजा दी गई । चौरासी के दंगे में मैं दिल्ली गया हुआ था—राजनीति के खिलाड़ी धर्मनिरपेक्ष हिन्दू नेताओं ने मुस्लिम रक्त पिपासुओं को ले कर सिखों की जिस प्रकार सामूहिक हत्याएं करवाई उससे पाकिस्तान के हिन्दू सिक्ख नर मेघ का दृष्ट एक बार पुनः देखने में आया । इंदिरा ने भारत बचाया । भारतीय निष्ठा स्वर्ण मंदिर की पवित्रता बचाई । उफ भारत इंदिरा ओर भारतीयता को नहीं बचा पाया । अब वर्तमान परिवेशः । लेख के डेढ़ मीटर शरीर को ढकने के लिए हमने पॉच मीटर भूमिका की साड़ी बना डाली क्षमा प्रार्थी हूँ ।

श्रद्धेय मुनि जी ! आप सभवतः हिन्दुओं के अनेक संगठनों से संबंधित या परिचित रहे हैं । आर्यसमाज से सर्वोदय से आर०एस०एस० से कांग्रेस से भी शायद रहे हो । परंतु किसी समाज में जुड़ कर नहीं रह सके । किसी सिद्धान्त से चरित्र से नीति से सदैव समाज से उपर माना । वर्तमान परिवेश में आप स्वयं कहते हैं कि पूरे भारत में आप अभी अकेले व्यक्ति हैं जो मनमोहन सिंह को ईमानदार, नेक, भला और कमजोर प्रधान मंत्री मानता है । वही सरलता की मुरत जिसने शासन के प्रत्येक भ्रष्टाचारी को अंत तक कलीन चिट दिया और अभी भी धृतराष्ट्र की शानदार भूमिका निभाता जा रहा है । वही जिसने चौरासी के दंगों के लिए कांग्रेस की ओर से सिक्खों से कोई छल नहीं ईमानदार मापी ।

मनमोहन सिंह ने भारत के प्रत्येक संसाधन पर मुसलमानों के प्रथम अधिकार की घोषणा की है—वहीं कश्मीरी पंडितों की जान माल की रक्षा का संकेत तक नहीं दिया है—ईमानदार आदमी गलत वादा नहीं करता । ईमानदार पी०एम० ने पहले अधिकारी की घोषणा कर दी परंतु दूसरा अधिकारी कौन होगा जानना हो तो प्रतिक्षा करें । मुनि जी आप स्वामी अग्निवेष जी राजनीतिक आर्य सन्यासी योग गुरु रामदेव जी सुषमा जी मोदी जी के प्रमुख आलोचक हैं तथा एक लंबे अरसे से मनमोहन जी की तेल मालिश कर रहे हैं और मन मोहन को पवित्रता ईमानदारी का सर्टिफिकेट थोक भाव में दे रहे हैं । आप ने सुषमा जी को मशविरा दे डाला कि वे संसद वालों की ईमानदारी या भ्रष्टाचार न देंखें । उन्हें चाहिए कि नक्सलवादियों का हल करें । मैंने भी इस प्रसंग पर विचार किया । निष्कर्ष यह रहा । सुषमा जी को नक्सलवाद की समस्या उद्देश्य स्थान आदि का वास्तविक ज्ञान नहीं है । परंतु आप में है । २—दिविजय जी तो उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं । सोनिया जी के प्रिय पात्र आप की दृष्टि से दूर नहीं । ३—सोनिया जी इंदिरा जी की प्यारी बहू है उन्हे बहुत बड़ा उत्तर दायित्व निभाना पड़ सकता है । ४—मनमोहन जी बहुत सीधे सज्जन एवं दूर्बल पी०एम० है ये सभी भारत की सरकार है । ५—भारत के गृह मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश की आंतरिक व बाह्य समस्याओं को सुलझाते रहे । इसके पश्चात् हमारे ईमानदार पी०एम० की प्रिय भ्रष्टाचारी टीम को भी देश सेवा का अवसर मिलना चाहिए । मेरा अनुमान है कि सुषमा का माओवाद तथा नक्सलवाद का ज्ञान आप लोगों की तुलना में कम है । अतः इस बार आप से अधिक योग्य टीम अन्य किसी दल के पास नहीं है । इस समस्या को सुलझा कर आप एक छोटा सा स्वच्छ इतिहास रचकर पुण्य के भागीदार बने ।

सुषमा जी को भ्रष्टाचारियों से भिंडे रहने दें वे केवल आस्था की बाजीगिरी करती रहेंगी । भ्रष्टाचारियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा । संसद की भी चिंता न करें । अरे वहाँ तो केवल कुर्सी मेज माइक तोड़ने वाले जूते खाने और जूते चलाने वाले ही रहते हैं—संसद में लगभग चौथाई सदस्य विदेश विभाग संभाल लेंगे वे सभी पाकिस्तानी भारतीय हैं । निश्चित रहिये दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित है । आप तो बस मनमोहन एंड कंपनी और अधिक सहायता की आवश्यकता हो तो पासवान जी को बुला लें जो ओसामा बिन लादेन का चित्र की भाँति गले में लटकाये धूमता था । अरे मुनि जी धृष्टराष्ट्र के ऑर्खे नहीं थी परंतु मन मोहन जी के हैं । शरीर भी है शासन भी है आपके मतानुसार वे कमजोर प्रधानमंत्री हैं । आपको अपनी बात पुष्ट सिद्ध करने का सुन्दर तम अवसर है—आप इनको साथ लेकर नक्सलियों के पास चले जाइये आप के नेतृत्व में यह छोटी सी नक्सल समस्या मिनटों में सुलझ जायगी ।

१—आप का पूर्व में भी अपना मत रहा है—संघ और भाजपा सत्ता लोभी है इनसे देश का हित संभव नहीं है । २—आप के ज्ञान तत्व में भी है २१७ अंक दुनिया जानती है कि पी० एम० पूरी तरह ईमानदार है । मनमोहन जी को आपके अतिरिक्त पूरा भारत शंका की दृष्टि से देखता है ।

३—भारत के अधिकारी केवल मुसलमान हैं ।

४—मोदी आप की निगाह में चढ़े हुए हैं । किस दिन आप लोग उन्हे जहन्नूम भेज दें कहा नहीं जा सकता । ऐसी अवस्था में आप सुषमा संघ भाजपा आदि से नक्सल समस्या के हल की अपेक्षा क्यों रखते हैं ।

आपने लिखा है कि कमजोर प्रधानमंत्री न होता तो विपक्षी इतना नहीं उछलते । मैंरी प्रतिक्रिया कमजोर की बहू सबकी भौजाई कहलाती है । जिस घर का मुखिया कमजोर होता है उस घर में सब का आना जाना होता है । जिस देश का राजा लोभी या कमजोर होता है वह देश नष्ट हो जाता है । अभी तो आप की धाराणानुसार एक दिन ये सभी दृष्ट के धुले हुए सिद्ध होंगे । मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी दृष्टि के समस्त अपराधों जो अभी तक आप को छोड़ कर और सभी को निर्कष्ट और धिनौने दिखते हैं वे आगे चल कर किसी दिन आपको कल्पना क अनुरूप वास्तव में देवता स्वरूप सिद्ध हों । ऐसी कामना मैं आपके प्रति श्रद्धा के कारण नहीं कर रहा हूँ । बल्कि देश हित इसी में है कि हमारे सभी अगुआ ईमानदार सज्जन चरित्रवान निष्ठालु और विश्वसनीय भी हों । इन

लोगों की वर्तमान छवि अभी तक जो मेरी निगाह में है। वह एक दम गलत निकले भारत की स्वच्छ छवि के ये सुपात्र देश के गर्व का कारण सिद्ध हो और मैं मुक्त कंठ से आप की दूर दृष्टि की विराटता का दर्शन करके आप को नमन करूँ। आप भी सारे हिन्दूओं को अपने दुराग्रह का शिकार न बनाये। संभव है कि हिन्दूओं में भी मानव सम्मति के प्रेमी देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमी सज्जन पुरुष भी हो। मेरे विचार से भाजपा और संघ में उतने बुरे लोग भी नहीं हैं जितना आप समझते हैं। मैं पूर्व भी आप से लड़ता रहा हूँ। परंतु आप का स्नेह मिलता है। इस बार तो पत्र से युद्ध ही कर बैठा हूँ। परंतु आप अपने प्रेम का अधिकार मुझ से नहीं छीनेंगे इस विश्वास के साथ—

**उत्तर**—आपका लम्बा पत्र मिला जिसका तीन चौथाई भाग मैंने प्रकाशित कर दिया। आपने लेख में विचारों की ईमानदार समीक्षा की है। मुझे खुशी हुई। ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि संभव है कि कई बातें सत्य भी हों और कई बातें मनगढ़त भी हो सकती हैं। जिन घटनाओं को प्रमाणित करना न मेरे लिये संभव है न आपके लिये उनकी चर्चा छोड़ रहा हूँ। हो सकता है कि न्हीं बातों पर आपकी जानकारी अधूरी हो अथवा मैंरी जानकारी अधूरी हो। फिर भी मैं वर्तमान चर्चा के अतिरिक्त दो तीन बातें कहना चाहता हूँ।

1—मैं जीवन में कभी कांग्रेसी नहीं रहा। राजनैतिक जीवन में प्रारंभ समाजवादी पार्टी से हुआ तथा बाद में अन्त तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहा।

2—मुझे प्रारंभ में भी हिन्दू होने पर गर्व था और अब भी है। मैं वैचारिक आधार पर हिन्दुत्व का प्रबल समर्थक हूँ। मैं वैचारिक आधार के हिन्दुत्व को पहचान वाले हिन्दुत्व से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ।

3 आपातकाल में सुव्यवस्था इन्दिरा जी का कमाल न होकर तानशाही का परिणाम था। मैंने कई बार लिखा है कि जहाँ भी तानशाही होगी वहाँ सुव्यवस्था होना निश्चित है। यह एक निश्चित सिद्धान्त है।

4—मैंने जो बार बार दो सूचियों प्रकाशित की हैं उनमें प्रधानमंत्री के योग्य तेरह नाम है जिनमें नरेन्द्र मोदी रमण सिंह, नीतिश कुमार भी शामिल हैं। समस्या पैदा करने वालों की जो सूची प्रकाशित की है उन तेरह लोगों में रामबिलास पासवान और दिविजय सिंह भी हैं।

5. मैं नक्सलवाद को भ्रष्टाचार से भी ज्यादा गंभीर समस्या मानता हूँ। मेरे विचार में दिविजय सिंह राहुल गांधी, की टीम ने नक्सलवाद के समाधान में हमेशा रोड़े अटकाये हैं। मैं समझता हूँ कि यह टीम भ्रष्टाचार का भी समाधान नहीं होने देगी।

वर्तमान राजनैतिक संदर्भ में मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह को बदनाम करके राहुल गांधी को स्थापित करने का जो प्रयत्न चल रहा है वह खतरनाक है। नेहरू परिवार के ही व्यक्ति को इस पद के लिये तैयार किया जाय और ऐसे प्रयत्न सार्वजनिक रूप से हों और ऐसे प्रयत्नों का खुला विरोध न हो यह मैं गलत मानता हूँ। यदि मनमोहन सिंह कठपुतली हैं तो कठपुतली को भ्रष्ट कहने के पीछे क्या कारण है क्या स्वार्थ है? यदि आपको ज्ञान नहीं होता कि यह कठपुतली किसी अन्य द्वारा संचालित है तब तो अलग बात है। किन्तु सारी बात जानते हुए भी मनमोहन सिंह का प्रत्यक्ष विरोध परोक्ष रूप से नेहरू वंश के राजकुमार का समर्थन है और मैं ऐसे अप्रत्यक्ष प्रयत्नों के खिलाफ हूँ। आप भले ही मेरे प्रयत्नों को गलत मानते हैं किन्तु मेरे प्रयत्न परीक्ष न होकर प्रत्यक्ष है।

मनमोहन सिंह सहित तेरह लोगों की प्रशंसा और रामबिलास पासवान सहित तेरह लोंगों की आलोचना मेरी तात्कालिक योजना है। सुषमा जी मेरे आकलन में दोनों ही टीमों में न होकर बीच के लोगों में मानता हूँ। किन्तु मैं सुषमा जी अडवानों जी, की अपेक्षा नरेन्द्र मोदी नीतिश कुमार का अधिक प्रसंशक हूँ। ज्योंही राहुल गांधी की तलवार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लटकाने की कोशिश बन्द हो जायगी तथा प्रधानमंत्री पद के लिये प्रतिस्पर्धा में नरेन्द्र मोदी नीतिश कुमार आदि मनमोहन सिंह के सामने दिखने लगगें त्योंही मेरी यह तात्कालिक प्रशंसा योजना अनावश्यक हो जायगी क्योंकि भारत की वर्तमान समस्याओं का यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। मैं मनमोहन सिंह को अच्छा प्रधानमंत्री नहीं कह रहा। मैं तो मात्र इतना ही कह रहा हूँ कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में परिवार वाद से हटकर लोकतंत्र की लाइन मजबूत हो रही है। मेरे विचार में भारत की समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान तो सहभागी लोकतंत्र या लोक स्वराज्य ही है जिस आंदोलन की शुरुआत अन्ना जी कर रहे हैं। मैं पूरी तरह अन्ना हजारे के लोक स्वराज्य आंदोलन के साथ हूँ। आप ज्ञान तत्व अंक दो सौ चौबीस पचीस में पढ़े भी होंगे ही।

### 3 श्री ओमपाल जी मेरठ उत्तर प्रदेश

प्रश्न 1 ज्ञान तत्व दो सौ तेइस में आपने आतंकवाद के तीन चेहरों में इस्लाम साम्यवाद के साथ साथ संघ परिवार का भी नाम शामिल किया है। इस्लाम हिंसा को आधार बनाकर दारूल इस्लाम कायम करना चाहता है तथा साम्यवाद उसी आधार पर विश्व विजय करना चाहता है। किन्तु संघ का हिंसा के पीछे छिपा हुआ क्या उददेश्य हो सकता है?

2—ऐसा सुना है कि आपके परिवार के लोग भी संघ परिवार के साथ जुड़े हैं। क्या आपके अनुसार वे भी आतंकवादी हैं?

3—ज्ञान यज्ञ परिवार में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले बड़ी संख्या में संघ परिवार से जुड़े हैं। क्या आपके उनके किसी कार्य से आतंकवाद की गंध आती है?

4—जिस तरह विश्व के विभिन्न देशों में इस्लामिक या साम्यवादी आतंकवादी भूमिगत प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं उसी तरह क्या संघ भी कभी करता है?

उत्तर—आपके चारों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हैं। मैंने न इस्लाम को आतंकवाद के साथ जोड़ा है न साम्यवाद को और न ही संघ परिवार को। मैंने ज्ञानतत्व दो सौ तेइस में लिखा है कि आतंकवादी तत्व इन में से किसी एक को ढाल बनाकर उनको ओट में छिपने की कोशिश करते हैं। ये तीनों ही दूर दूर तक आतंकवादी नहीं हैं। आतंकवादी और उग्रवाद में बहुत अन्तर हैं। आतंकवाद जैसा कहता है वैसा ही करता है किन्तु उग्रवाद जैसा कहता है वैसा करता नहीं। संघ परिवार के लोग आमतौर पर समाज में हिंसा की आवश्यकता तो बताते हैं किन्तु स्वयं वैसा नहीं करते। कोई संघ परिवार का सदस्य स्वयं बम फेंकता हो ऐसा नहीं दिखता न ही वह कभी ऐसी घटनाओं में अन्दर से शामिल रहता है। पहली बार इन्द्रेश जी का नाम इस तरह आ रहा है अन्यथा आम तौर पर ऐसा नहीं होता। किन्तु संघ परिवार के लोग आमतौर पर सामाजिक हिंसा की आवश्यकता का समर्थन करते हैं जो उग्रवाद है। उग्रवाद भी कोई अच्छी बात नहीं क्योंकि उग्रवाद बढ़ते बढ़ते आतंकवाद की लाइन पकड़ लेता है। उग्रवाद तथा आतंकवाद के बीच एक पतली सी सीमा रेखा होती है। संगठन प्रायः सीमा रेखा का उलंघन नहीं करता किन्तु जब संगठन से जुड़ा कोई व्यक्ति इस सीमा का उल्लंघन करता है तब संगठन पर आंच आती है। आंच से बचने के लिये यदि सीमा रेखा से पर्याप्त दूरी बनाकर रखी जाय तो बुरी बात नहीं। उग्रवाद प्रायः हमेशा ही लाभ में रहा है। आज समाज में समस्याओं की जड़ में गांधीवादियों की बिल्कुल

विपरीत लाइन है। गांधीवादी एक ओर तो अहिंसा के नाम पर कायरता फैलाते रहते हैं तो दूसरी ओर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर इस्लामिक आतंकवाद अथवा नक्सलवाद तक का परोक्ष समर्थन करते हैं। ध्यान रहे कि जब समाज में कायरता ह तब उग्रवाद का उपयोग बहुत लाभदायक होता है। ऐसा लाभ स्वतंत्रता के बाद इस्लाम को भी मिला और साम्यवाद को भी और उसी को देख देख कर संघ परिवार भी उस लाइन पर चल पड़ा। वर्तमान समय में इन तीनों ही संगठनों को आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है। समाज में आतंकवाद के विरुद्ध तो वातावरण बन ही रहा है उग्रवाद के भी विरुद्ध बन रहा है। गंभीरता पूर्वक विचार करिये कि पूरी दुनिया के मुस्लिम देश किस संकट से जूझ रहे हैं। आज हिन्दुओं में भी आतंकवाद जड़ जमा लेता तो वह संघ परिवार के लिये ही नासूर बनता। अब विश्व में हिंसा के प्रति विरोध बढ़ रहा है। संभव है कि लाभ की जगह हानि हो जावे। मैं पूरी तरह गांधी का समर्थक हूँ और कायरता का विरोधी। मैं डा० हेडगेवार का समर्थक हूँ जिन्होंने दलगत राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर नियंत्रण की आवश्यकता बताई थी। किन्तु मैं हेडगेवार का नाम लेकर राजनीति करने वाले वर्तमान संघ चरित्र का पूरी तरह विरोधी हूँ।

ज्ञान यज्ञ परिवार की निश्चत सीमाएं हैं। वह किसी भी प्रकार की किया से दूर सिर्फ विचार मंथन तक सीमित है। यदि हमारा कोई साथी हिंसा करता है तो हम उसे नहीं रोकते क्योंकि हिंसा का सहयोग या विरोध हमारा काम नहीं। हमारे साथ हिंसा समर्थक भी है और विरोधी भी। ज्ञान यज्ञ परिवार तो विचार मंथन का मंच मात्र है। मैं अहिंसा का समर्थक हूँ। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान यज्ञ परिवार के अन्य साथी मुझसे जुड़े हैं। सबकी स्वतंत्र सोच है और स्वतंत्र संगठन है। हमारा कोई साथी विचार मंथन में भी स्वतंत्र है और क्रिया में भी। यदि हमारा कोई साथी किसी को गोली मारने के लिये मुझसे सलाह लेता है तो मैं उसे उस किया से रोकूगा नहीं। मैं उस क्रिया की गलत सही परिणाम की व्याख्या तक सीमित हूँ। इसलिए मेरे परिवार के सदस्य संघ के साथ भी जुड़े हैं और हमें कोई कठिनाई नहीं। संघ कोई उग्रवादियों का संगठन मात्र तो है नहीं। संघ परिवार में अनेक अच्छाईयों और बुराइयों का पृथक पृथक आकलन है। उसके बाद सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है।

संघ परिवार की तुलना आतंकवादी संगठनों से नहीं की जा सकती। क्योंकि संघ परिवार न कही ऐसे प्रशिक्षण में संलग्न है न गतिविधियों में। किंतु संघ परिवार की तुलना गायत्री परिवार जैसी संस्थाओं से भी संभव नहीं। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के पूर्व आर्य समाज के भी अनेक कार्यकर्ता हिंसा में संलग्न रह। स्वतंत्रता के बाद भी आर्य समाज कभी कायरता का पोषक नहीं रहा। किंतु भी आर्यसमाज पर कभी उग्रवादी संगठन का आरोप नहीं लगा। सोचना मुझे नहीं। संघ परिवार को है कि आज हिन्दू समाज में ही उसकी विश्वसनीयता घट क्यों रही है। मेरा काम यह समझना नहीं है। चूंकि मुझे संघ परिवार से बहुत उम्मीदें रही हैं। अन्यथा शायद मेरे परिवार के लोगों का इतना ज्यादा जुड़ाव संघ परिवार से नहीं होता। यही कारण है कि मैं संघ परिवार की व्यापक समीक्षा करता हूँ। मुझे महसूस होता है कि लोगों को व्यक्ति रूप से सोचना चाहिये कि हम आंख मूंदकर संघ परिवार की पुरानी लाइन पर ही चलते रहें अथवा संघ परिवार पर संशोधन के लिये दबाव बनायें। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं संघ परिवार की नीतियों के पूरी तरह पक्ष में हूँ। किन्तु कार्यप्रणाली कभी सफल नहीं हो सकती चाहें हम कितना भी जोर लगा लें और कितने भी वर्ष बिता दें। उस समय संघ परिवार मानता था कि बस दों चार वर्ष में ही वह सब ठीक कर लेगा। तीस चालीस वर्ष बाद अब दों चार वर्ष की जगह दस पांच वर्ष कहा जाने लगा हैं। मैंने तो सोच लिया है कि संशोधन हेतु दबाव बनाना चाहिये। आप अपना निर्णय करने हेतु स्वतंत्र हैं।

#### 4 आचार्य पंकज रिषिकेश उत्तराखण्ड

विचार – आप राममोहन राय के विषय में लिखते रहे हैं। मेरी जानकारी अनुसार सती प्रथा को लेकर बंगाल उस समय दो गुटों में विभक्त था। एक गुट के नेता थे प० राधाकान्त शास्त्री जी परम्परागत कहर हिन्दू वैदिक कर्मकाण्डी रुदिवादी थे तथा सतीप्रथा के प्रबल समर्थक थे। दूसरा राममोहन राय ब्रह्म समाज मूर्तिपूजा विरोधी तथा सती प्रथा समाप्ति के लिये जन साधारण में घूम घूम कर सभाये, गोच्छी, बैठक करते हुए बड़ा जनान्दोलन खड़ा किया था। शमशान घाटों पर जाकर चीता पर बैठाई गई विधवाओं को सती कराने वालों को सीधे रोकना संघर्ष पूर्ण कार्य था, कहरपंथियों से शमशानों पर राममोहन राय की सीधी मुठभेड़ हुई, अकेले ही राममोहन राय चिंता नहीं जलने देते थे उनकी माता जी ने धर्मविरोधी मानकर राममोहन राय को गृह प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था कहरपंथियों ने राममोहन राय कई बार प्राणघात हमले भी किये उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, वे अपने अभियान में जनान्दोलन के मध्य चट्टान की तरह खड़े रहे। प्राणघातक हमलों के बावजूद भी राममोहन राय ने अंग्रेजी सरकार से अपनी सुरक्षा के लिये कोई गुहार नहीं जगाई। जन समर्थन उनका सुरक्षा कवच था। बंगाल के उस समय के अधिकारियों ने जो अंग्रेज थे सती प्रथा विरोधी जनान्दोलन को समाप्त करने के लिये कलकत्ता में राममोहन राय तथा आन्दोलन के प्रबल विरोधी प० राधाकान्त शास्त्री को बैठक के लिये बुलाया। जब राधा कान्त एण्ड कम्पनी को पता चला कि अंग्रेजों ने राममोहन राय को भी बुलाया है तब उन लोगों ने इस बैठक के बहिष्कार की घोषणा के साथ नाशितक धर्मविरोधी राममोहन राय को गिरफतार कर सती प्रथा को जारी रखने की मांग की। अन्ततः ब्रह्मसमाज का सतीप्रथा विरोधी जनान्दोलन व्यापक स्तर पर तेज हुआ। बंगाल की अंग्रेजी हूँकूमत ने सतीप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प० राधाकान्त शास्त्री ने इस ब्रह्म समाज की जीत मानकर, विलायत इंग्लैड जाकर प्रियी कौन्सिल में बंगाल की अंग्रेजी हूँकूमत के आदेशों का चुनौती दी। प्रियी कौन्सिल ने बंगाल के अंग्रेजी हूँकूमत के आदेश को जायज ठहराते हुये प० राधाकान्त शास्त्री की अपील खारिज कर दी। राममोहन राय के ब्रह्म समाज के जन आन्दोलन के कारण ही घोर अमानवीय सती प्रथा का समाप्त हो पाया

उत्तर— मैं आंशिक जानकारी के आधार पर मानता था कि राममोहन राय ने जन जागरण न करके सरकार से सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवा दिया। किन्तु आपके अनुसार राजा राम मोहनराय ने सती प्रथा के विरुद्ध जनमत जागरण किया जिसे देख कर सरकार ने कानून बनाया। इस तरह राममोहन राय गलत नहीं थे। आपने इस संबंध में जानकारी देकर बहुत अच्छा किया है। आपसे निवेदन है कि इसी तरह अन्य विषयों पर भी मेरी जानकारी को ठीक करते रहियेगा।